CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छगस्वावितवि / सूचना / 2024 / 5395 भिलाई, दिनांक: 13/8/24

प्रति,

प्राचार्य
समस्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाएं
छत्तीसगढ़

**विषयः–छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम के संबंध में।**

---XXX---

उपरोक्त विषयांतर्गत विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस की वापसी के संबंध में संचालनालय तकनीकी शिक्षा रायपुर के website पर Online Counseling Process 2024-2025 में upload छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के पत्र क्रमांक एफ 9–10 / 2023 / तक.शि. / 42 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 / 07 / 2023 ऑनलाईन कॉउसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया 2023 का विस्तृत विवरण के **बिन्दु क्रमांक 34** का अवलोकन कर पालन करना सुनिश्चित करें।

इस जानकारी से अवगत हेतु विद्यार्थियों को सूचनार्थ, संस्था के सूचना पटल पर सूचना चस्पा करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव
छगस्वावितवि,भिलाई

12/08/24.

प्रतिलिपिः
1. निज सहायक, माननीय कुलपति महोदय, छगस्वावितवि, भिलाई।
2. विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड़ हेतु।
3. मास्टर फाईल।

Village-Newai, Post-Newai, Bhilai, Distt.-Durg (Chhattisgarh) PIN-491107, Ph. No.: 0788-2200062,
Fax No.: 0788-2445020, Website: www.csvtu.ac.in, E-mail: registrar@csvtu.ac.in

संचालनालय, तकनीकी शिक्षा
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
7925 26 JUL 2023
AD

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

क्रमांक एफ 9--10/2023/तक.शि./42 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/07/2023

प्रति,

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
छ0ग0।

विषयः-- ऑनलाईन कॉउंसिलिंग की प्रवेश प्रकिया 2023 का विस्तृत विवरण बाबत्।
संदर्भः-- आपका जावक टीप कमांक 1513, दिनांक 29.05.2023

--------0--------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव अनुसार ऑनलाईन कॉउंसिलिंग हेतु प्रस्तावित प्रवेश प्रकिया 2023 एवं दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों (अभ्यर्थी सुविधा केन्द्रों) की सूची निम्नानुसार निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा फॉर्मेसी, डिप्लोमा मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट (MOM), डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग (CDDM), डिप्लोमा ईंटीरियर डेकोरेशन (ID), डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी (HMCT), डिप्लोमा आर्किटेक्चर, एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.फॉर्मा, एम.टेक., बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेटरल एण्ट्री, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी लेटरल एण्ट्री एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एण्ट्री इत्यादि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम वेबसाइट- www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन कॉउंसिलिंग की जायेगी एवं संबंधित तिथियां, उपलब्ध सीटों की जानकारी, सीटो के आबंटन की जानकारी, सूचनाएँ इत्यादि भी इसी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाईन कॉउंसिलिंग संबंधित तिथियाँ राज्य/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।

2. इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी संस्थाओं के स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रथम वर्ष में स्वीकृत सीटों की 10 प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों के साथ साथ प्रथम वर्ष में रिक्त रह गई सीटों पर लेटरल एण्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सकेगा।

3. ऑनलाइन कांउसिलिंग के दो मुख्य चरण होंगे, प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के पश्चात संस्था स्तर की कॉउंसिलिंग का एक और चरण होगा। कांउसिलिंग प्रकिया में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए रु. 200, स्नातक पाठ्यक्रम के लिए रु. 300 एवं स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिए रु. 500 ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के मुख्य तीन भाग है, पंजीयन (Registration), शुल्क भुगतान (Fee Payment), और विकल्प भरना (Choice Filling)।

34. छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम -

1. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश निरस्त करवाने हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा कॉउसिलिंग कार्यक्रम में घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त करवाने हेतु आवेदन करने पर बी.ई., बी./डी.फार्मेसी, बी. आर्क, एम.सी.ए., एम.टेक., एम. फार्मेसी एवं एम. बी.ए. पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी से रू. 1000/- की तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन इनटीरियर डिजाईन एवं डेकोरेशन, डिप्लोमा इन मार्डन आफिस मेनेजमेंट एवं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी से रू. 500/- की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।
2. कॉउसिलिंग कार्यक्रम में घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन नहीं करने पर अभ्यर्थी की फीस वापसी हेतु योग्य नही होगा।

टीप :- छात्र द्वारा प्रवेश निरस्त करने पर फीस वापसी के उपरोक्त बिंदु राज्य शासन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिव्यूव पिटिशन क्रमांक REVP/70/2017 के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

3. प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर प्रवेश तथा फीस बिनियामक समिति के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी ।

35. ट्यूशन फी वेव्हर योजना :- यह योजना एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए के दिशा निर्देशानुसार लागू की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लागू होगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू होगी। योजना की प्रकिया निम्नानुसार है :-

1. यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी कॉउसिंल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिये लागू होगी।
2. कांउसिलिंग के समय संस्थाओं के अनुमोदित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तथापि अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ संबंधित संस्था में उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जब संबंधित ब्रांच में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त प्रवेश हुआ हो। यह सांख्येत्तर सीटों केवल उसी स्थिति में उपलब्ध होगी, यदि विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो। अतिरिक्त प्रवेशित संख्या के बराबर TFW नियमानुसार सामान्य प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा जिसके आधार पर प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण किया गया हो के अनुसार देय होगी।